नाम - डा. प्रदीप कुमार राय
विषय - राजनीति शास्त्र
कक्षा - बी.ए. (प्रतिष्ठा) भाग - 02
पेपर - 04
दिनांक — 22.07.2020

टॉपिक — सुरक्षा परिषद् - कार्य एवं क्षेत्राधिकार — संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के रूप में प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद् का मुख्य दायित्व विश्व शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा परिषद् के क्षेत्राधिकार में संगठनात्मक विषय महत्वपूर्ण हैं। ~~इस अधिवेशन से~~ इस मामले में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। इसमें नये राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे कार्य हैं जो वह महासभा के मिलकर करती है।

निर्णयात्मक अधिकार के अंतर्गत उसे अपने शांति के मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है केवल सु.परिषद् ही शांति भंग करनेवाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद् यह निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति भंग हो रही है एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही का आदेश करने का अधिकार है एवं सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छानुसार उक्त निर्णय को मानने एवं लागू करने को बाध्य हैं।

सदस्यता एवं नियुक्ति के क्षेत्र में भी सुरक्षा परिषद् को व्यापक अधिकार प्राप्त है। नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सु.परिषद् को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। सदस्यता प्राप्त करने के लिये किसी भी देश को सं.राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है जिसे वह सुरक्षा परिषद् के विचारार्थ भेज देता है। सुरक्षा परिषद् सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर स्वयं उक्त देश की सदस्यता की याचना पर विचार करती है और अपनी सिफारिश महासभा के पास भेजती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति सु.परिषद् की सिफारिश पर ~~महासभा~~ करती है। सु.परिषद् की सिफारिश पर ...

कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गई हो सदस्यता के अधिकार से अनिश्चितकाल के लिये वंचित किया जा सकता है। यह राज्य को संयुक्त राष्ट्र की निरंतर अवहेलना करता हो उसे सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही सदस्यता से निकाला जा सकता है।

शांति स्थापना के क्षेत्र में भी सुरक्षा परिषद को व्यापक अधिकार प्राप्त है। विवाद की समाप्ति के लिये पहले प्रस्ताव, पुनः आर्थिक प्रतिबंध एवं अंत में सैन्य कार्यवाई का प्रयोग किया जाता है। सु.परिषद के पास यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेनायें उपलब्ध कराने को कह सकती है।

संशोधन के अधिकार से भी सु.परिषद सफल है इसके अनुसार चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के दो-तिहाई सदस्यों के मत के अतिरिक्त सु.परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है।

सुरक्षा परिषद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अधिकार में से एक उसकी निषेधाधिकार (वीटो) की शक्ति है जिसके अनुसार सु.परिषद के स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक का नकारात्मक मत सु.परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है जिसका प्रयोग पांचों महाशक्तियों एवं स्थायी सदस्यों द्वारा अनेक बार किया गया है।

परिषद की सैनिक स्टाफ समिति – इस व्यवस्था में सु.परिषद सशस्त्र सेनाओं को उपयोग में लाने हेतु एक सैनिक स्टाफ समिति बना सकती है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाये रखने की सैनिक आवश्यकतायें, सेनाओं के प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियंत्रण एवं संभावित निःशस्त्रीकरण आदि के क्षेत्र में सहायता और परामर्श देगी।

मूल्यांकन – सं.राष्ट्रसंघ की स्थापना काल से लेकर आज तक सु.परिषद ने अनेक अवसरों पर विश्व शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाये हैं हालांकि महाशक्तियों के न्यस्त स्वार्थों एवं पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति भी कई अवसरों पर देखी गई है जिससे इसे महाशक्तियों के हाथ का खिलौना भी कहा गया है तथा महासभा की शांति के लिये एकता के प्रस्ताव ने भी इसकी शक्ति को प्रभावित किया है फिर भी इसमें महाशक्तियों के प्रतिनिधित्व होने के कारण विश्व शांति एवं सुरक्षा को दीर्घकालिक प्रदान करने में सहायता मिली है तथा इसकी आवश्यकता एवं उपादेयता बनी हुई है।

Scanned with CamScanner